

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-111)/2019/ दिनांक :

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-111)/2019/629 दिनांक 15.10.2019 के पैरा संख्या 2 में "सूची में अंकित संस्थाओं को राज्य सरकार की एनओसी, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की सम्बद्धता तथा आईएनसी की अनुमति में से जिसमें भी सीटों की संख्या कम होगी" में से आईएनसी की अनुमति को विलोपित समझा जावे।

5

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

दिनांक : 15/10/19

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-111)/2019/63)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची में कोई परिवर्तन हो तो तत्संबंधी पत्रादि की प्रतियों के साथ अधिकतम तीन दिवस में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
8. सचिव/समन्वयक प्राइवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
9. प्रधनाचार्य, समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स, राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 में अपलोड करने का श्रम करे।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

4

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर